उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल** ने एक **नई सोशल मीडिया पॉलिसी** को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य **फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब** सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है।

मुख्य बिंदु

- **नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रतिमाह 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं।**
  - देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों में रह रहे राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोज़गार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- **सूत्रों के अनुसार, लिस्टिंग के लिये एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।**
  - **एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम** के खाताधारकों या ऑपरेटरों अथवा प्रभावितों को भुगतान के लिये **श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रतिमाह** निर्धारित की गई है।
  - **यूट्यूब पर** वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिये **श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रतिमाह** तय की गई है।
- सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिये एक **डिजिटल एजेंसी 'V-फॉर्म'** को सूचीबद्ध किया है। यह **वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिये ज़िम्मेदार** होगी।
- नीति में **आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिये दिशा-निर्देश** भी प्रस्तुत किये गए हैं।
  - **सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी, असामाजिक, फेक न्यूज़ या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने** पर कार्यवाही की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-new-social-media-policy